

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं० :- 05/स्था० 95/2010(खंड), ...../ पटना, दिनांक .....

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश ज्ञापांक 80 (मु०) दिनांक 12.02.2014 एवं पत्रांक 01 (मु०) दिनांक 28.02.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री धनंजय कुमार भूमि उप समाहर्ता, औरंगाबाद को मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 15.02.2014 से 23.02.2014 तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के कार्यों के सम्पादन हेतु दिये गये आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक...०३/०५/२०१५

ज्ञाप संख्या...२०६०...../

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल, गया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग पटना/जिला पदाधिकारी औरंगाबाद/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/श्री धनंजय कुमार, भूमि उप समाहर्ता, औरंगाबाद/जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव के आप्त सचिव परिवहन विभाग, बिहार पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी /आईटी०मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग एवं स्थापना शाखा परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०३/०५/१५

प्रधान सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।